न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार I** (RAS)

राजस्व वाद–पत्र संख्या :– **279/2023** **GCMS 2023/461**

वादी :–

1. सीताराम शर्मा पुत्र स्व. फूलचंद शर्मा उर्फ फूलाराम निवासी ग्राम रामदेव जी मंदिर के पास परेवड़ी जिला डीडवाना–कुचामन

प्रतिवादीगण :–

1. अनिता देवी पुत्री मालचन्द
2. जगदीश प्रसाद पुत्र नानगाराम
3. दुर्गा प्रसाद पुत्र जेठमल
4. धापू पत्नी जेठमल

स्व. नर्मदा देवी पत्नी मालचन्द उत्तराधिकारीगण (प्रतिवादी संख्या 05 से 10)

5. भीवराज(पुत्र)
6. शिव कुमार (पुत्र)
7. अनिता(पुत्री)
8. मनोहरी(पुत्री)
9. भंवरी(पुत्री)
10. शुभम (स्व. नर्मदा देवी के पौत्र)
11. पिंकी पत्नी हरिप्रसाद

स्व. बिहारीलाल पुत्र रूघनाथ वारिसान (प्रतिवादी संख्या 12 से 16)

12. बालकिशन(पुत्र)
13. विनोद (पुत्र)
14. भंवरी (पुत्री)
15. भगवती (पुत्री)
16. तारामणी(पुत्री)
17. बोदूराम पुत्र जेठमल
18. भंवरी देवी पुत्री मालचन्द

स्व. भागीरथ प्रसाद पुत्र नानगाराम वारिसान (प्रतिवादी संख्या 19 से 24)

19. चुकी देवी (पत्नी)
20. मनोज कुमार (पुत्र)
21. तुलछीदेवी (पुत्री)
22. निर्मलादेवी (पुत्री)
23. निरंजन कुमार (पुत्र)
24. जयप्रकाश (पुत्र)
25. भीवराज पुत्र मालचंद

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:32:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

26. मनोहरीदेवी पत्नी मालचन्द
27. रामलाल पुत्र जेठमल
28. शुभम पुत्र हरीप्रसाद
29. शिवकुमार पुत्र मालचन्द समस्त प्रतिवादीगण 01 से 29 ग्राम परेवड़ी तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन राज.
30. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन
31. राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन राज.
32. उप–पंजीयक कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी

वाद–पत्र बाबत अधिकारों घोषणा, भू–विभाजन व शाश्वत व्यादेश अन्तर्गत धारा 88, 53, 92(क), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– वकील श्री अवतार सिंह वादी की ओर से
प्रतिवादीगण अनुपस्थित

–:निर्णय :–

दिनांक :– 15/01/2025

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि मौजा ग्राम परेवड़ी में वादी के पिता स्व. फूलचन्द शर्मा व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 29 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की कृषि बारानी भूमि पुराना खाता संख्या 145, नया खाता संख्या 117 के खसरा नम्बर 236, 237, 238, 239, 240 कुल रकबा 13.9100 हैक्टयर किस्म कृषि योग्य भूमि में सहखातेदारान के साथ स्थित है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण अपने हिस्से की भूमि पर बतौर काश्तकार काबिज है। वादी सीताराम पुत्र श्री स्व. फूलचंद शर्मा उर्फ फूलाराम बतौर डिक्रीदार खाता संख्या 117 के खसरा नम्बर 237 में 20 बीघा 13 बीस्वा पर काबिज है। यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि उक्त वर्णित खाता संख्या 117 में वादी के पिताजी फूलचन्द शर्मा उर्फ फूलाराम पुत्र रामबक्श का बतौर खातेदार नाम अंकित है, जबकि दिनांक 19.09.2000 को वादी के पिताजी स्व. फूलचन्द शर्मा उर्फ फूलाराम द्वारा अपने अन्य पुत्रों की आपसी सहमति से वादी के पक्ष में अपने हिस्से की कुल भूमि 20 बीघा 13 बीस्वा का बैचान इकरारनामा खसरा संख्या 237 में निष्पादित किया था। उक्त ईकरारनामें के पश्चात ईकरारनामें की शर्तों के पालन नहीं करते हुए वादी द्वारा न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक न्यायालय परबतसर में एक दीवानी वाद संख्या 72/2004 इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादी के पिताजी द्वारा बैचान में व्यतिक्रम किया जा [illegible] उक्त दीवानी वाद में श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 2.07.2004 को वादी के पक्ष में डिक्री पारित करते हुए यह आदेशित किया कि उक्त ईकरारनामें [illegible] 19.09.2000 को पक्षों के अनुसार वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को रूपये 1,54,000/– मय 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:32:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

दर से अदा कर प्रतिवादी द्वारा आराजी खसरा संख्या 237 ग्राम परेवड़ी में स्थित 20 बीघा 13 बीस्वा का विक्रय विलेख वादी के पक्ष में पंजीयन करवाया जावे। श्रीमान न्यायालय के आदेशानुसार उक्त खाता संख्या 117 के खसरा संख्या 237 की 20 बीघा 13 बिस्वा भूमि का मालिकाना हक बतौर डिक्रीदार सीताराम शर्मा पुत्र श्री फूलचन्द शर्मा उर्फ फूलाराम का है तथा उक्त वाद में वादी बतौर डिक्रीदार पक्षकार है। अतः उक्त वाद में वादी के अतिरिक्त उसके अन्य परिवारजन को पक्षकार नहीं बनाया गया है। श्रीमान न्यायालय के आदेश अनुसार वर्ष 2014 में वादी द्वारा डिक्री पालना हेतु श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रमांक 01 के समक्ष इजराय हेतु एक वाद क्रमांक 40/2014 प्रस्तुत किया जो श्रीमान न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है उक्त वाद में वादी ईकरारनामें की शर्तो के अनुसार बैचान की बची हुई शेष राशि मय ब्याज कुल 3,53,045/– रूपये दिनांक 05.04.2023 न्यायालय में जमा करवा चुका है तथा न्यायालय द्वारा उक्त खसरा संख्या 237 की 20 बीघा 13 बीस्वा का पंजीयन वादी के पक्ष में जरिए नाजिर क्रियान्वित करने हेतु ओदशित किया है। राजस्व रेकर्ड में आराजी वादी तथा प्रतिवादीगण के मध्य संयुक्त अधिकार एवं कब्जा काश्त में आई हुई है लेकिन मौके पर सभी खातेदारान रेकर्ड में अंकित रकबा अनुसार अलग–अलग हिस्से पर काबिज काश्त है इसके साथ ही वादी उक्त खसरा संख्या 237 की कुल भूमि 20 बीघा 13 बीस्वा पर काबिज काश्तकार है। वादी के पक्ष माननीय न्यायालय श्रीमान एडीजे नम्बर 01 परबतसर द्वारा खातेदारी अधिकारों को अन्तरित किये जाने का आदेश प्रदत किये गये है परन्तु बिना भू–विभाजन के संयुक्त खातें में खातेदारी अधिकारों का अन्तरण व न्यायालय के आदेश का क्रियान्वन संभव नहीं है अतः वाद वास्ते भू–विभाजन पेश करना लाजमी हुआ है। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 29 सहखातेदार है व अपने–अपने हिस्सों के माफिक काश्त करते आये है प्रतिवादी संख्या 02 व 19 से 24 तक द्वारा अपने हिस्से की भूमि को बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुचामन सिटी को उक्त वाद में पक्षकार बतौर प्रतिवादी संख्या 30 अंकित किया है तथा प्रतिवादी संख्या 31 भूमिधारी तहसीलदार प्रतिनिधि राजस्थान राज्य होने के कारण वाद में पक्षकार के रूप में संयोजित किया है। वादी प्रतिवादीगण संख्या 01 से 29 का कब्जा काश्त उक्त ग्राम परेवड़ी के खसरा संख्या 236 से लेकर 240 तक लगातार कुल रकबा 13.9100 हैक्टयर किस्म बारानी पर काबिज है जिसका नजरी नक्शा निम्न प्रकार है :–

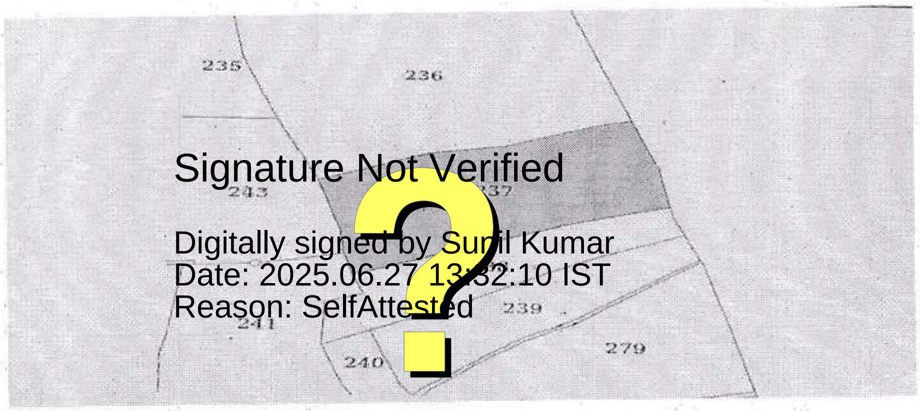

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:32:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

वादग्रस्त समस्त खसरान की भूमि का फसल की बाजोत की सुविधा के हिसाब से बंटवारा मौखिक रूप से वर्षों पहले कर लिया गया था वादी व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर सींव कायम कर काबिज है परन्तु खाता विभाजन अभी तक नहीं हुआ है। वादी अपने हिस्से की भूमि 20 बीघा 13 बीस्वा खसरा संख्या 237 में वर्षों से काबिज है। वादी की खाता संख्या 117 कुल भूमि में 20 बीघा 13 बीस्वा भूमि का नजरी नक्शा अनुसार व न्यायालय की डिक्री अनुसार खसरा संख्या 237 का भू–राजस्व अधिकार में अभिलेख अंकन करवाकर रक़बें का अलग–अलग खाता विभाजन करवाकर राजस्व विभाग द्वारा तरमीम किये जाकर अपने नाम से अलग रकम मालिकाना कायम करवाना चाहता है। वादी वर्तमान के खाता संख्या 117 के खसरा संख्या 237 क्षेत्रफल 20 बीघा 13 बीस्वा पर काबिज है तथा वादी के पक्ष में हुई डिक्री के अनुसार 20 बीघा 13 बीस्वा भूमि का पंजीयन करवाने के आदेश के उपरांत इजराय वाद में जरिए नाजिर पंजीयन के आदेश पर प्रतिवादी संख्या 31 द्वारा उक्त भूखण्ड का बंटवारा नहीं देने होने की परिस्थिति में पंजीयन हेतु आपत्ति दर्ज करवाई। अतः वादी का समस्त खसरा संख्या 236 से लेकर 240 तक के खसरों में 1/4 हिस्सा होने की परिस्थिति में न्यायालय की डिक्री की पालना हेतु विभाजन करवाना अनिवार्य है। जिससे वादी की भूमि का निर्धारण किया जा सके। सभी सहखोदारान भूमि में खरीद के समय से संयुक्त होने से स्वतंत्र रूप से उपयोग करने उपभोग करने विकास कार्य करवाने में वादीगण के समक्ष बहुत कठिनाईयां आती है इसलिए खाता विभाजन हेतु उक्त दावा प्रस्तुत करना आवश्क है। वादी सीताराम पुत्र स्व. फूलचन्द तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 29 अपने हक हिस्से की भूमि रकबा कुल 13.9100 हैक्टयर भूमि के खातेदारी अधिकारों के अनुसार By meets and bound करवाकर राजस्व रेकर्ड में संशोधन करवाकर अपना हिस्सा दर्ज करवाने तथा राजस्व नक्शें में अपना हिस्सा अलग से दर्शित करवाने के कानूनी अधिकारी है। अभी कुछ रोज पूर्व वादी द्वारा प्रतिवादीगण को खाता विभाजन हेतु कहा गया तो वह इंकार हो गए व खाता विभाजन हेतु मना कर दिया तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादी को एलानियां धमकी दी गयी कि वो बिना खाता विभाजन करवाए अपने हिस्से की भूमि का बेचान विशेष भू–भाग दर्शाकर अन्य व्यक्तियों को कर देंगे तथा जबरन कब्जा कर लेंगे। अगर प्रतिवादीगण अपने मनसूबों में कामयाब हो गए तो वादी को भारी असुविधा होगी तथा अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षति–पूर्ति भविष्य में किसी प्रकार से संभव नहीं होगी। प्रथम दृष्टया मामला भी वादी के पक्ष में बखूबी साबित है इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 29 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना कानूनन आवश्यक है इसलिए यह वाद बाबत शाश्वत व्यादेश मय खाता विभाजन पेश करना आवश्यक हुआ है। विनाय दावा अभी कुछ दिन पूर्व वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 01 ता 29 को अलग खाता विभाजन करने हेतु कहा तो पहले तो स्पष्ट तौर पर विभाजन कराने से इंकार कर दिया तब वादी ने खाता विभाजन हेतु राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों को कहा तो उनके द्वारा भी स्पष्ट रूप से इंकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.23 13:32:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

करने पर प्रतिवादी संख्या 01 ता 29 द्वारा भूमियों के विशेष भू–भाग को दर्शाकर बेचान करने की एलानियां धमकी देने पर ब–मुकाम उत्पन्न हुआ है जो आज दिन तक निरंतर जारी है। वाद बंटवारे के दावें हेतु है इसलिए प्रतिवादीगण के सहकाश्तकार होने से पक्षकार प्रतिवादीगण बनाया गया। मौजा ग्राम परेवड़ी में स्थित खाता संख्या 17 के खसरा संख्या 237 में 20 बीघा 13 बीस्वा का वादी के पक्ष न्यायालय श्रीमान एडीजे नम्बर 01 परबतसर के आदेश दिनांक 01.04.2023 की पालना में बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड संशोधन कर वादी के नाम भूमि अलग से राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे। मौजा ग्राम परेवड़ी में स्थित खाता संख्या 117 के वाद ग्रस्त खसरान का By meets and bound बंटवारा कर अलग से राजस्व रेकर्ड व नक्शें में दर्ज करवाने के आदेश राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों को दिये जावें इस आशय की एक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर फरवाई जावें। उपयुक्त अनुतोष की अनुपालनार्थ ग्राम परेवड़ी के खाता संख्या 117 के खसरा संख्या 237 में स्थित 20 बीघा 13 बीस्वा वादी की खरीदशुदा, कब्जेशुदा वाद–ग्रस्त भूमि के कब्जे–काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप या दखल नहीं करें तथा किसी भी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति को हस्तानांतरित नहीं करें और ना ही भारयुक्त करें तथा विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 32 इस आशय की फरमाई जावे कि वाद–ग्रस्त भूमि का कोई दस्तावेज प्रतिवादीगण द्वारा या उक्त खसरा संख्याओं के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई दस्तावेज पेश किया जाता है तो वे उसका पंजीयन नहीं करे व प्रतिवादी संख्या 31 राजस्व अभिलेख की यथा स्थिती बनाएं रखें इस आशय की डिक्री बाबत शाश्वत व्यादेश बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे।

वादी वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सभी प्रतिवादी बावजूद इतला अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दस्तावेज साक्ष्य में नकल संवत 2073–2076, नकल वाद संख्या 72/2004 सीताराम बनाम फूलचन्दजी माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) परबतसर, ईकरारनामा फोटो प्रति पेश की। मौखिक साक्ष्य के लिए वादी द्वारा शिव कुमार व स्वयं का शपथ–पत्र पेश किया गया।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया दौराने बहस वादी अधिवक्ता द्वारा निम्न नजीरें पेश की गई :–

1. प्यारेलाल बनाम शुभेन्द्रा पिलानिया (माइनर) दिनांक 29/01/2019 (रिर्पोटेबल जजमेंट सुप्रिम कोर्ट)
2. बेगाराम बनाम बालकिशन उर्फ ब... ...त दिनांक 16/05/2019. (राजस्थान हाइकोर्ट)
3. अर्जुन सिंह बनाम म... ...शाक AIR 1954 SC 345. (सुप्रिम कोर्ट)
4. नारायण सिंह बनाम रामसिंह AIR 197... ...AJ 185. (राजस्थान हाइकोर्ट)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:32:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

5. जस्सा सिंह बनाम करण सिंह AIR 1969 P & H 300. (पंजाब एण्ड हरियाणा हाइकोर्ट)
6. विजय सिंह व अन्य बनाम बुद्धाराम व अन्य निर्णय दिनांक 12/03/2012 (राजस्थान हाइकोर्ट)

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी ग्राम परेवड़ी के खाता संख्या 117 के खसरा नम्बरान 236, 237, 238, 239, 240 कुल रकबा 13.91 हैक्टेयर में रकबा 3.34 हैक्टेयर (20 बीघा 13 बिस्वा) का खातेदार घोषित कर वादी का हिस्सा अलग करवाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण का बावजूद सूचना अनुपस्थित रहना इस बात की तस्दीक करता है कि उन्हें उक्त वाद–पत्र में अंकित खातेदारी घोषणा व बंटवारा किये जाने पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। वादग्रस्त भूमि में वादी अपनी खातेदारी घोषणा करवार कर सेपरेट होल्डिंग कायम करवाकर बंटवारा कराये जाने का कथन किया है। जिसकी पुष्टि उपलबध रेकर्ड से होती है। जिससे वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कुचामन सिटी से बंटवारा प्रस्ताव चाहा गया। तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अपने पत्रांकः भू.अ./2024/2653 दिनांक 26.12.2024 के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव पर वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। जिसे पढ समझ कर सही होना स्वीकार किया है। जिससे वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: आदेश :–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम परेवड़ी के खाता संख्या 117 के खसरा नम्बर 237 कुल रकबा 3.34 हैक्टेयर (20 बीघा 13 बिस्वा) भूमि में तहसीलदार कुचामन सिटी के बंटवारा प्रस्ताव में वर्णित अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बंटवारा प्रस्ताव में वर्णित अनुसार वादी की अलग होल्डिंग कायम की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/01/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार I R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी (डीडवाना-कुचामन सिटी) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:32:10 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तेदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–डीडवाना–कुचामन (राज.)

बईजलास :– **श्री सुनील कुमार I (RAS)**

राजस्व वाद–पत्र संख्या :– **279/2023** **GCMS 2023/461**

वादी :–

1. सीताराम शर्मा पुत्र स्व. फूलचंद शर्मा उर्फ फूलाराम निवासी ग्राम रामदेव जी मंदिर के पास परेवड़ी जिला डीडवाना–कुचामन

प्रतिवादीगण :–

2. अनिता देवी पुत्री मालचन्द
3. जगदीश प्रसाद पुत्र नानगाराम
4. दुर्गा प्रसाद पुत्र जेठमल
5. धापू पत्नी जेठमल

स्व. नर्मदा देवी पत्नी मालचन्द उत्तराधिकारीगण (प्रतिवादी संख्या 05 से 10)

6. भीवराज(पुत्र)
7. शिव कुमार (पुत्र)
8. अनिता(पुत्री)
9. मनोहरी(पुत्री)
10. भंवरी(पुत्री)
11. शुभम (स्व. नर्मदा देवी के पौत्र)
12. पिंकी पत्नी हरिप्रसाद

स्व. बिहारीलाल पुत्र रूघनाथ वारिसान (प्रतिवादी संख्या 12 से 16)

13. बालकिशन(पुत्र)
14. विनोद (पुत्र)
15. भंवरी (पुत्री)
16. भगवती (पुत्री)
17. तारामणी(पुत्री)
18. बोदूराम पुत्र जेठमल
19. भंवरी देवी पुत्री मालचन्द

स्व. भागीरथ प्रसाद पुत्र नानगाराम वारिसान (प्रतिवादी संख्या 19 से 24)

20. चुकी देवी (पत्नी)
21. मनोज कुमार (पुत्र)
22. तुलछीदेवी (पुत्री)
23. निर्मलादेवी (पुत्री)
24. निरंजन कुमार (पुत्र)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:32:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

25. जयप्रकाश (पुत्र)
26. भीवराज पुत्र मालचंद
27. मनोहरीदेवी पत्नी मालचन्द
28. रामलाल पुत्र जेठमल
29. शुभम पुत्र हरीप्रसाद
30. शिवकुमार पुत्र मालचन्द समस्त प्रतिवादीगण 01 से 29 ग्राम परेवड़ी तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन राज.
31. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन
32. राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन राज.
33. उप–पंजीयक कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी

वाद–पत्र बाबत अधिकारों घोषणा, भू–विभाजन व शाश्वत व्यादेश अन्तर्गत धारा 88, 53, 92(क), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अवतार सिंह अधिवक्ता हाजिरी............. मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम परेवड़ी के खाता संख्या 117 के खसरा नम्बर 237 कुल रकबा 3.34 हैक्टेयर (20 बीघा 13 बिस्वा) भूमि में तहसीलदार कुचामन सिटी के बंटवारा प्रस्ताव में वर्णित अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बंटवारा प्रस्ताव में वर्णित अनुसार वादी की अलग होल्डिंग कायम की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें।

निज .... मुबलिग .... बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद भारह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 15.....माह 01........... सन् 2025 को जारी की गई।

दस्तखत..
ओहदा..

(मुहर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			[illegible]		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			[illegible]		
मीजान					

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का [illegible] डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:32:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)